अति तत्काल

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

उप निदेशक(पश्चिम) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (WEST)

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

संख्या : 6/4/उनि(प)/ हिंदी भाषा प्रशिक्षण/जनवरी-मई/ /2026/ 1911 दिनांक : 06 NOV 2025

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
केंद्र सरकार के सभी कार्यालय/राष्ट्रीयकृत बैंक, उपक्रम व संगठन आदि ।
मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/पुणे/नागपुर/अहमदाबाद/वडोदरा/बेंगलूरू/मैसूर/बेलगावि
सभी सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पश्चिम क्षेत्र ।

विषय: जनवरी- मई , 2026 सत्र के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ व पारंगत के दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र दिनांक 01 जनवरी, 2026 से प्रारंभ होगा । कृपया अपने कार्यालय के प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को इन कक्षाओं में नामित करें। **राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या : 3/18/68/हिन्दी दिनांक 21 सितंबर, 1968 के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है ।** नामित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में अपने नगर में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के अनुलग्नक-I पर दिए गए पते पर दिनांक 22.12.2025 तक भेज दें।

अगर आप अपने कार्यालय में ही कक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं तो कृपया पत्र द्वारा सूचित करें । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से संपर्क करें ।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी/:

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि जनवरी-मई 2026	परीक्षा मई, 2026	पात्रता
प्रबोध	2-2 घंटे एकांतर दिवस सप्ताह में 6 घंटे	तीसरा/चौथा सप्ताह	जिनका हिंदी ज्ञान पांचवीं कक्षा के स्तर से कम है ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी प्रबोध प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं । तमिल, तेलुगु,कन्नड, मलयालम, मणिपुरी, मिझो, अंग्रेजी भाषा-भाषी प्रवेश ले सकते हैं।
प्रवीण	उपर्युक्त	मई, 2026 का तीसरा/चौथा सप्ताह	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है । इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें कक्षा 7 वी तक हिंदी का ज्ञान है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
प्राज्ञ	1 1/2 - 1 1/2 घंटा एकांतर दिवस सप्ताह में 3 घंटे	मई, 2026 का तीसरा/चौथा सप्ताह	यह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू ,कश्मीरी , पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है , प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
पारंगत	उपर्युक्त	मई, 2026 का तीसरा/चौथा सप्ताह	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/ उद्यमों/ अभिकरणों/ निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे । (कायार्लय ज्ञापन. फा.सं.12012/03/2015-राभा(नीति) दिनांक 22.4.2015 के अनुसार।

पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पद के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम तक का ही प्रशिक्षण दिया जाना है।

केंद्रीय सदन,छठी मंजिल, सी विंग] सेक्टर-10,सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614
Kendriya Sadan,6th Floor,C Wing-601,Sector-10, CBD ,Belapur,Navi Mumbai-400614
ई मेल/ email: ddhts-west-dol@nic.in दूरभाष/Tel : 022-20878246

वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 14034/30/2009-राभा.(प्र.) दिनांक 6 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। भाषा एवं टंकण का प्रशिक्षण वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन्हीं कार्मिकों के लिए है जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को भी प्रशिक्षण हेतु नामित करने का कष्ट करें।

वित्तीय प्रोत्साहन

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन -नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि की गई है। कार्यालय ज्ञापन संख्या:21034/25/2024-राभा (प्रशि) दिनांक 01/07/2025 (कार्यालय ज्ञापन संलग्न)

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, एवं प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए नियमानुसार एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिनके लिए वह अंतिम परीक्षा है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है। मार्ग-व्यय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- हिंदी प्रबोध,प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

प्रशिक्षण	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा परीक्षा	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
प्रबोध	70 % या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-	₹ 4000/-
प्रबोध	60 % या इससे अधिक परन्तु 70 %अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 2000/-
प्रबोध	55% या इससे अधिक परन्तु 60 %अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 1000/-
प्रवीण	70 % या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1800/-	₹ 4500/-
प्रवीण	60 % या इससे अधिक परन्तु 70 %अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 3000/-
प्रवीण	55% या इससे अधिक परन्तु 60 %अंक प्राप्त करने पर	₹ 600/-	₹ 1500/-
प्राज्ञ	70 % या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-	₹ 6000/-
प्राज्ञ	60 % या इससे अधिक परन्तु 70 %अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-	₹ 4000/-
प्राज्ञ	55% या इससे अधिक परन्तु 60 %अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 2000/-

वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को 'पारंगत" प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त पुरस्कार राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। कार्यालय ज्ञापन संख्या: 21034/69/2008-रा.भा. (प्रशि) दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

पारंगत	55 % से 59% अंक प्राप्त करने पर	₹ 4000/-
पारंगत	60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	₹ 7000/-
पारंगत	70 % या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 10000/-

परीक्षा शुल्क : केंद्रीय उपक्रमों,बैंकों,निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ व बैंकिंग प्राज्ञ के लिए 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन द्वारा देय होगा पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। ऑनलाइन भुगतान से संबंधित प्रोफार्मा सलग्न है।

- नामांकन विधि एवं प्रपत्र
- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक-II में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 20.12.2025 तक अपने नगर में स्थित हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय को अवश्य भिजवा दी जाए। नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलिफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए। हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए दिनांक 01.01.2026 को प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक से संपर्क करना होगा।

- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- संबंधित सहायक निदेशक द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के संबंध में समय रहते यथोचित कार्रवाई की जा सके।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है यदि वहां स्थान उपलब्ध हो।
- **जनवरी-मई, 2026 की कक्षाओं की समय-सारणी दिसंबर, 2025 के अंतिम सप्ताह में जारी की जाएगी।**

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- जहाँ तक संभव हो नामित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में स्थानांतरित न किया जाए और न ही उनके नाम वापस लिए जाएँ। जहाँ तक संभव हो उन्हें हिंदी प्रशिक्षण के दौरान अन्य किसी प्रशिक्षण के लिए नामित न किया जाए।

भवदीया,

गार्गी गाडगील
०५/११/२५

(श्रीमती गार्गी गजानन गाडगील)
सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि,

सभी सहायक निदेशक/ हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, पश्चिम क्षेत्र।
उप निदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।

अति तत्काल

ANNEXURE-I

नगर का नाम	हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय का पता जहाँ नामांकन प्रेषित करना है	संबंधित केंद्र के अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा संपर्क सूत्र
मुंबई/ नवी मुंबई	उप निदेशक (पश्चिम) हिंदी शिक्षण योजना,राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय केंद्रीय सदन.छठा तल, सी विंग सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 ई मेल ddhts.west-dol@nic.in	श्रीमती गार्गी गाडगिल, सहायक निदेशक, मो. 9969250917 श्री विश्वजित मजूमदार, सहायक निदेशक, मो.9474549347 श्रीमती नमिता स्वाई, सहायक निदेशक , मो-9938077306 श्री शिवकुमार, सहायक निदेशक मो.न-9363076273 श्रीमती भारती सैनी, सहायक निदेशक, मो.नं-8828410321 श्री विनोद कुमार शर्मा, सलाहाकार, मो.नं. 9930721863 श्रीमती रिता चतुर्वेदी, सलाहाकार, मो.न. 9920770742
पुणे	सर्वकार्यभारी अधिकारी हिंदी शिक्षण योजना एवं रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) का कार्यालय न. 01, फायनान्स रोड़, पुणे-411 001	श्री सुखबीर सिंह, सहायक निदेशक मो.नं. 94042693 दूरभाष सं.. 020 29512183 chti1274@nic.in
नागपुर	सर्व कार्यकारी अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना, निदेशक डाक लेखा कार्यालय आकाशवाणी चौक, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 ई-मेल truptit1980@gmail.com	श्रीमती तृप्ति टेंभुर्णे, सहायक निदेशक दूरभाष सं.0712-254422 मो. नं. 8380877534 Chti1265@nic.in
बेंगलूरु	सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना,राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय केंद्रीय सदन, ए-विंग, 5वीं मंजिल, कोरमंगला दूसरा ब्लॉक बेंगलूरु-560034	श्रीमती जेयसी फर्नांडिस,सहायक निदेशक, मो.9448581791 डॉ. महेन्द्र जैन, सहायक निदेशक, मो.नं- 9869354512 फोन : 080-25537089/25537087 oioc.hts.benglure@gmail.com
मैसूर	सर्व कार्यभारी अधिकारी हिंदी शिक्षण योजना भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-570006 ई-मेल -chti1306-dol@nic.in	श्री कुमार संभव, हिंदी प्राध्यापक मोबाइल-7376281681 दूरभाष सं: - 0821-2347350 ई-मेल -chti1306-dol@nic.in
वडोदरा	सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र प्रतापगंज, वडोदरा - 390002 ई-में - chti1264@nic.in	श्री दिनेश सिंह, सहायक निदेशक दूरभाष सं: 0265-2485101 मो. नं: 7822956411 ई-मेल - chti1264@nic.in
अहमदाबाद	कार्यालय सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं अपर आयकर आयुक्त (मुख्या/प्रशा)हिंदी शिक्षण योजना, नेचर व्यू बिल्डिंग, प्रथम तल, कक्ष -108 आश्रम रोड अहमदाबाद गुजरात-380009 ई-मेल meenabs365@gmail.com & chti1271@nic.in	श्री भगवान सहाय मीना, सहायक निदेशक दूरभाष सं: 079-27546322 मो. नं: 9408794016 ई-मेल meenabs365@gmail.com & chti1271@nic.in
बेलगांवी	सर्व कार्यभारी अधिकारी हिंदी शिक्षण योजना बेलगांवी केंद्र, बीएसएनएल परिसर कैंप, बेलगांवी-590001	डॉ.जयशंकर यादव, अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक मो.नं. : 9448635109

हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान अनुलग्नक-।।

HINDI TEACHING SCHEME/CENTRAL HINDI TRAINIG SUB INSTITUTE

प्रशिक्षण हेतु प्रणाली में प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षार्थियों का व्यक्तिगत ब्योरा

हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि/बेसिक कंप्यूटर/गहन

(अल्पकालिक/दीर्घकालिक)

पूरक प्रशिक्षार्थियों के लिए अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है ।

Privet/Reguler

प्राइवेट/नियमित

केंद्रीय सरकारी Central Govt ☐ उपक्रम P S U ☐ बैंक Bank ☐

1.	प्रशिक्षार्थी का नाम	(हिंदी में)	....
	Name of the Trainee	(In English)	....
3.	पिता/पति का नाम	(हिंदी में)	....
	Father/Husband's Name	(In English)	....
3.	प्रशिक्षार्थी का पद नाम	(हिंदी में)	....
	Designation of the Trainee	(In English)	....
4.	मातृभाषा/Mother Tongue	....	लिंग/Gender पुरूष/स्त्री (M/F)
5.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर Level of Knowledge in Hindi Language	(√निशान लगाएँ)	:- दसवीं/बारहवीं/स्नातक $10^{th}/12^{th}$/Graduate
6.	मंत्रालय/विभाग :-		Ministry/Department :- ....
7.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम :- तथा ई-मेल आयडी (जो पठनीय हो)		....
8.	Name and Designation of The Nominating officer		....
9.	कार्यालय का पूरा नाम एवं पता पिन कोड सहित		Full Name and Add of the office including Pin Code

हिंदी में	In English
....	....
....	....
....	....

10. कार्यालय दूरभाष/office Phone No :- .... मोबाईल/Mobile No :- ....

11. आधार संख्या/Adhar No. :- .... ई-मेल आईडी/office e-mail id : ....

12. दिनांक/Date :- .... प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर :- ....

(कार्यालयीन प्रयोग के लिए)

केंद्र संख्या :- .... कार्यालय कोड ....

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम :- .... परीक्षा केंद्र ....

रजिस्ट्रेशन सं./अनुक्रमांक :- ....

संकाय का नाम :- ....

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टेप्स

1. सबसे पहले State Bank Of India की wesbsite www.onlinesbi.com में State Bank Of India नामक उपशीर्षक पर जाएँ ।

या

State Bank Of India की wesbsite www.onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक State Bank Of India पर क्लिक करने पर Stat Bank Collect नामक उप शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए proceed करें ।

↓

2. State Bank Of India पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं Go को क्लिक करें ।

↓

3. Govt. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT. OF OFFICIAL LANGUAGE, MHA को SUBMIT करें ।

↓

4. Select Payment Category में HINDI TEACHING SCHEME SELECT करें । Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

↓

5. इस फार्म को भरने के पश्चात Submit करें । Submit करने के बाद अपने भर हुए विवरण Confirm कर Payment करें ।

↓

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटो प्रति उप निदेशक (पश्चिम) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय सदन, छठी मंजिल "सी विंग" 6 वां माला, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 अवश्य भेजें

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

उप निदेशक(पश्चिम) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (WEST)

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

Most Immediate

सं. : 6/4/DD(W) HINDI BHASHA PRASHIKSHAN/Jan--May/2026/ 1911 DATE : 06 NOV 2025

To,

Liaison Officer (Hindi)
Director/Joint Director/Manager (Official Language), Administrative Officer
All Central Government Offices/Nationalized Banks, Undertakings and Organizations etc.
Mumbai/Navi Mumbai/Pune/ Bengaluru/Nagpur/Ahmedabad /Vadodara /Mysore/ /Belgavi
All the Member Secretaries, TOLIC (West)

Sub: Organisation of long term Hindi Prabodh, Praveen, Pragya & Parangat Classes under Hindi Teaching Scheme for the session, January- May-2026

Sir/Madam,

I am directed to inform that the forthcoming session of long term training of Hindi PRABODH, PRAVEEN, PRAGYA AND PARANGAT under Hindi Teaching Scheme will commence from 1st Jan, 2026. Please nominate the remaining officers/staff to these classes for training in your office. According to the Office Memorandum No.3/18/68/ Hindi of department of official language dated 21 September, 1968, in-service Hindi training is compulsory for officers/employees of all central government offices. Send the list of Nominated officers /employees in the prescribed form to the address given on the annexure-I of Hindi Teaching Scheme located in your city by 22.12.2025.

If you want to start a class in your office, Please inform by letter. For more information in this regard, contact the Assistant Director/ Hindi Pradhyapak of the concerned Centre. A Brief synopsis of training programme & eligibility etc.

Name of the Course	Period Jan -May 2026	Exam Time	Eligibility
Prabodh	Two hours on alternate working days(Six Hours in a week)	3rd & 4th Week Of, May 2026	Officials whose Hindi knowledge is below primary (5th std.) level and whose mother tongue is Tamil, Telgu, Kannad, Malayalam, Manipuri, Mizo, English they can take admission in this course.
Praveen	As Above	As Above	This is the secondary level course. Officers/Employees who have passed the prabodh Examination and whose mother tongue is Marathi,Sindhi,Gujarati,Maithili,Santhali,Bodo,Dogri,Nepali,Bengali, Oriya and Assamese and do not possess the Knowledge of Hindi of 7th Standard they can seek direct admission in this course .
Pragya	1 ½ hours on alternate working day (Three Hours in a week)	As Above	This is for all such Officers/Employees who have passed the Praveen Examination or who possess the knowledge of Hindi of middle/secondary level or whose knowledge of Hindi is below Matriculation or Tenth class level.Kashmiri,Punjabi,Urdu and Pashto speaking officers/employees can seek direct admission in the pragya level training program.
Parangat	As Above	As Above	As per O.M. No. 12012/03/2015-O.L.(Policy) Dated 22/04/2015 all Officers/Employees of all the Ministries/Dept. of Government of India/Subordinate & attached offices/All Public Sector owned or controlled by Central Govt./Statutory Orgn./Enterprises/Agencies /Corpn. Etc. will be eligible to this course who possess "Working Knowledge Of Hindi"

Eligible officers/employees should be trained in the course prescribed for them.

2/-

Special Mention: Imparting Hindi Language Training to the group 'D' Personnel who have been placed in-group 'C'.

In respect of group 'D' personnel who have been placed in Group 'C' on the recommendations of the Sixth Pay Commission, attention is invited to the Department of Official Language OM No. 14034/30/2009-OL(Trg), Dated 06January, 2010. Hindi training has been made compulsory for those who possess the prescribed educational qualification for group 'C'. Accordingly, the personnel of your office who have been placed in Group 'C' from Group 'D' may kindly also be nominated as per their eligibility.

Incentives: Central Govt. Officers/Employees are entitled for the grant of personnel pay, equal to one increment for a period of 12 months on padding Prabodh, Praveen & Pragya [whichever final exam for them] subject to fulfillment of prescribed conditions.

- Actual conveyance charges from office to training centre and back, if distance is more than 1.6 k.m..Charges will be born by the office concerned.
- Cash awards are granted after passing Prabodh, Praveen & Pragya examination on fulfilling prescribed terms and conditions.

Details of Cash Award:

Increase in the amount of incentive-cash awards on passing Hindi Prabodh, Prveen, Prgya examinations under Hindi Teaching Scheme and increase in the amount of lump sum awards on passing Hindi Prabodh,Prveen,Prgya examinations under Hindi Teaching Scheme through individual efforts- regarding.

- Officers/Employees are given cash awards as per following table on passing the Prabodh, Praveen and Pragya examination and fulfilling the prescribed conditions. Personal pay and cash awards also are paid by the respective offices of the trainees.
- On scoring 70% or more marks

Traning	Hindi Language Examonation under Hindi Teaching Scheme	Existing cash award amount	Rivised cash award amount
Prabodh	On scouring 70% or more marks	₹ 1600/-	₹ 4000/-
Prabodh	On scouring 60% or more, but less than 70% marks	₹ 800/-	₹2000/-
Prabodh	On scoring 55% or more, but less than 60% marks	₹ 400/-	₹ 1000/-
Praveen	On scoring 70% or more marks	₹1800/-	₹ 4500/-
Praveen	On scoring 60% or more, but less than 70% marks	₹1200/-	₹ 3000/-
Praveen	On scouring 55% or more, but less than 60% marks	₹ 600/-	₹ 1500/-
Pragya	On scoring 70% or more marks	₹ 2400/-	₹ 6000/-
Pragya	On scoring 60% or more, but less than 70% marks	₹ 1600/-	₹ 4000/-
Pragya	On scoring 55% or more, but less than 60% marks	₹ 800/-	₹ 2000/-

It has been decided to provide the following one-time award amount to Central Government employees on passing the "Parangat" training programme from the financial year 2021-22. OM No. 21034/69/2008-O.B. (Training) dated December 21, 2020

Parangat	On Scoring 55 % से 59% marks	₹ 4000/-
Parangat	On Scoring 60% से 69% marks	₹ 7000/-
Parangat	On Scoring 70 % or more marks	₹ 10000/-

On scoring 55% to 59% mark On scoring 60% to 69% marks On scoring 70 % or more marks

Examination Fee:

- The training in all these courses is provided free to all. However the PSU's and Banks are required to remit an examination fee worth ` 100/- for each course in the form of Online/DD drawn in favor of Deputy Director (Examination), Hindi Teaching Scheme, payable at New Delhi.
- There is no examination fee for Parangat course.

Nomination Process & Proforma:

- **Details of the candidates of regular/private Hindi language or typing and stenography are now to be entered in the system of Central Hindi Training Institute, (Department of Official Language). The old examination application forms are not valid now. The points of details of the candidates required for the entry in the system are given in part 'B' of the attachment.**
- **List of nominated Officials for the said training may please be sent to this office latest by 20 Dec. 2025 in prescribed nomination form attached at Annexure - II**
- **Details of the nominated officer, complete postal address of the office, phone No., E-mail I.D. etc. may please be clearly indicated in the nomination proforma. It is mandatory to mention the number of yet to be trained employees.**
- **Trainees may directly contact to the Assistant Director/Hindi Pradhyapak in concerned training Centre on 1st Jan. 2026.**
- **No confirmation letter will be sent to the individual/office to take admission in the training class from our end.**
- **Time-Table for Jan-May- 2026 classes will be issued in the last week of Dec. 2025.**

SPECIAL NOTE:

Administrative Heads of all Ministries, Departments, Undertakings, Banks, Corporations etc. are requested to circulate this circular to all concerned offices/units/branches at the earliest. It is the responsibility of the Administrative Head of the concerned office to ensure that maximum number of personnel are nominated for training. The nominated employees must take admission in the classes, attend the classes regularly and compulsorily also appear in the examination. So that the available government resources for training can be fully utilized and training targets can be achieved in stipulated time.

As far as possible, the nominated trainees should not be transferred or withdrawn during the period of training and should not be nominated for any other training during this period.

Yours faithfully,

Gargi Gadgil

(Smt Gargi Gajanan Gadgil)
Assistant Director and Head of Office

Copy to :

1. **All Assistant Director/ Pradhyapak Hindi Teaching Scheme, Mumbai / Pune/ Nagpur/ Vadodara/ Ahmedabad/ Bengaluru / Mysore /Belgavi .**
2. **Deputy Director (HQ), Central Hindi Training Institute, New Delhi.**